

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या- 1205/नौ-5-2016-116सा/16  
लखनऊ:: दिनांक: 16 अप्रैल, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के पैरा-10 के अनुसार मिशन के अन्तर्गत चयनित नगरों में प्रस्तावित कार्यों का क्रियान्वयन विशेष प्रयोजन साधन (SPV-Special Purpose Vehicle) के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था है। अतः स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के पैरा-10 के अनुसार प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु एतद्द्वारा निम्नानुसार SPV-Special Purpose Vehicle के गठन पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, गाजियाबाद के लिए :

- |  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| (1) संबंधित मण्डलायुक्त  | - | अध्यक्ष                        |
| (2) भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि  | - | सदस्य                          |
| (3) उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण   | - | सदस्य                          |
| (4) मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल                                  | - | सदस्य                          |
| (5) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम                                       | - | सदस्य                          |
| (6) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग                                   | - | सदस्य                          |
| (7) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ<br>अथवा उनके प्रतिनिधि | - | सदस्य                          |
| (8) मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी)/निदेशक, नगर निकाय द्वारा नामित प्रतिनिधि            | - | सदस्य                          |
| (9) संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम   | - | मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) |

(2) रामपुर के लिए :

- |  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| (1) जिलाधिकारी, रामपुर   | - | अध्यक्ष                        |
| (2) भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि  | - | सदस्य                          |
| (3) उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण या उनके प्रतिनिधि                           | - | सदस्य                          |
| (4) मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल                                  | - | सदस्य                          |
| (5) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम या उनके प्रतिनिधि                     | - | सदस्य                          |
| (6) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग या उनके प्रतिनिधि                 | - | सदस्य                          |
| (7) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ<br>अथवा उनके प्रतिनिधि | - | सदस्य                          |
| (8) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रामपुर                                     | - | सदस्य                          |
| (9) मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी)/निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० द्वारा नामित प्रतिनिधि    | - | सदस्य                          |
| (10) मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर   | - | मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) |

2- उपर्युक्त संरचना के अनुसार विशेष प्रयोजन साधन (SPV-Special Purpose Vehicle) स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं की योजना, मूल्यांकन, अनुमोदन, जारी निधियों, कार्यान्वयन, प्रबन्ध, संचालन, निगरानी तथा आकलन करेगा। एसपीवी उन सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा, जो स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के पैरा-10 में उल्लिखित हैं।

श्रीप्रकाश सिंह  
सचिव।

संख्या-1205(1)/नौ-5-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
- 2- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- मिशन निदेशक (स्वच्छ भारत), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी)/निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ
- 8- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 10- सम्बन्धित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 11- मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
- 12- सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 13- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 15- मुख्य अभियन्ता, सम्बन्धित सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल।
- 16- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम।
- 17- सम्बन्धित सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग।
- 18- संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 19- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )  
विशेष कार्याधिकारी